

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य प्रवर्तित अन्य योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों पर निर्मित किये जा रहे पुलों के डिजाईन, पर्यवेक्षण एवं निर्माण कार्यों हेतु विशेषज्ञ, परामर्शदाता के रूप में केन्द्र/राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों से सेवानिवृत्त अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं ब्रिज विशेषज्ञ (अंशकालीन) के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु सहायक अभियंता एवं उससे उच्च पदों से सेवा निवृत्त हुये अधिकारी जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.ई. सिविल हो तथा जिन्हें ब्रिज निर्माण/डिजाईन के कार्यों का दीर्घ (न्यूनतम 10 वर्षों) का अनुभव हो, से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 12/09/2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम व शर्तें तथा भुगतान आदि संबंधी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट www.mprrda.com/default.html से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. 10600 दिनांक 20/08/2024


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

प्राधिकरण में सेवा निवृत्त अनुभवी अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य प्रवर्तित अन्य योजनाओं के अंतर्गत मार्गों पर पुल निर्माण हेतु विशेषज्ञों (अंशकालीन) के रूप में लेने बावत नियम एवं शर्तें

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कई बड़े पुल भी निर्मित किये जा रहे हैं। इन पुलों के डिजाईन, निर्माण एवं पर्यवेक्षण से जुड़े कार्यों में अंशकालीन रूप से केन्द्र/राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों से सेवानिवृत्त अनुभवी सहायक अभियंता एवं इससे उच्च अभियंताओं को निम्नलिखित नियमों/शर्तों के अधीन सूचीबद्ध (Empanel) किया जाना प्रस्तावित है :-

1. सेवा निवृत्त/अनुभवी अधिकारियों का ब्रिज विशेषज्ञ (अंशकालिक) के रूप में चयन मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
2. केन्द्र/राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों से अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारियों (सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता) से प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक पैनल उपरोक्त समिति द्वारा बनाया जावेगा।
3. प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप ब्रिज विशेषज्ञों की सेवाएं पूरे मध्यप्रदेश में आवश्यकतानुसार ब्रिज के कार्यों में विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने लिये सलाहकार/विशेषज्ञों के रूप में ली जावेगी जो कि निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगी:


अ) डीपीआर स्तर पर : प्रस्तावित पुल के प्रकार, डिजाईन एवं उपयुक्तता के संबंध में परामर्श।

ब) निर्माण कार्य के समय : विभिन्न स्तरों पर आवश्यकतानुसार परामर्श।

स) निर्माण के उपरांत : पूर्ण पुलों का निरीक्षण एवं परामर्श।

द) पुल निर्माण के संबंध में आवश्यकतानुसार अन्य परामर्श।

4. समिति द्वारा अनुशंसित/Empanelled अधिकारियों को पैनल में सम्मिलित कर नियुक्त करने की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जावेगी और उन्हें ऐसे मामले Case to Case basis पर सौंपे जायेंगे।
5. ब्रिज विशेषज्ञों को इस कार्य हेतु प्रतिदिवस रू. 5,000/- का दैनिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा। भुगतान की अधिकतम सीमा किसी भी माह में रू. 50,000/- से अनधिक एवं किसी भी वर्ष में रू. 3,00,000/- से अनधिक होगी।
6. उक्त प्रक्रिया अनुसार चयनित/सूचीबद्ध ब्रिज विशेषज्ञों को निरीक्षण कार्यों हेतु भेजे जाने पर प्राधिकरण में पदस्थ सहायक अभियंता/कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण यंत्री के समकक्ष टी.ए./डी.ए. देय होगा।
7. उक्त प्रक्रिया अनुसार चयनित/सूचीबद्ध ब्रिज विशेषज्ञों को निरीक्षण कार्यों हेतु भेजे जाने पर प्राधिकरण में पदस्थ सहायक अभियंता/कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण यंत्री के समकक्ष होटल चार्ज देय होंगे।
8. किसी एक विशेषज्ञों को सौंपे जाने वाले जिलों/कार्य दिवसों की संख्या समिति द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी।
9. एक वर्ष पूर्ण होने पर पैनल का पुनरीक्षण गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा।


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

**Form to be submitted by the applicant
to Serve as Bridge Experts (Part time) in MPRRDA
(For retired Officers)**

1. Name of applicant
2. Father's Name
3. Date of Birth
4. Date of Retirement
5. Name of Department and
Last Office from where retired
6. Post from which retired
7. Cast: Gen/OBC/SC/ST/Other (Please Specify)
8. Details of DE/EOW/Lokayukt enquiry etc. (if any)
.....
.....
9. Education Qualification
.....
.....

10. Detail of Service :-

Post	From	To	Type of Experience office/Field

11. Detail of Experience in respect of Bridge Works supervised/Executed/ Designed:-

S. No.	Name of bridge/River/Location / Place	From	To	Brief detail of Bridge e.g. Length Span, Type of Structure, Features etc	Details of works taken by you e.g. Design/Supvision/ Inspection

12. Present Postal address
-
-

13. Permanent address

.....

.....

.....

Mobile No.

Declaration

I hereby declare that neither any department/EOW or Lokayukt enquiry is pending against me nor any major penalty was ever imposed against me. I also Declare that court case of any nature is not pending against me. Information given by me is true to the best of my Knowledge & Belief My Selection may be Cancelled and suitable action may be taken if information furnished by me is found incorrect.

Signature of applicant:

Name of applicant

Mobile no.....

Date:

Place: